न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 41/2021

1 राधाकिशन उम्र 65 साल पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 हरफुल सिंह उम्र 60 साल पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट निवासी सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
2 झुन्झुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा सांयकालिन झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक
3 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक
4 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर उनवानी मुकदमा हरफुल सिंह बनाम राधाकिशन आदि मु.नं. 15/2020 अ.धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधि.
निर्णय दिनांक 05.03.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री मो. रफीक, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 6/3/15

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 15/2020 में पारित निर्णय दिनांक 05.03.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अ.धारा 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 583, 582 वाके ग्राम सोनासर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि भूमि खसरा नम्बर 583 रकबा 2.05 हैक्टेयर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की खातेदारी काश्त की भूमि ग्राम सोनासर तहत तहसील मलसीसर में स्थित है। अपीलान्ट की भूमि हाल खसरा नम्बर 581 रकबा 0.12 हैक्टेयर तथा हाल खसरा नम्बर 582 रकबा 1.61 हैक्टेयर भूमि ग्राम सोना तहत तहसील मलसीसर में स्थित है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.02.2020 को प्रस्तुत किया था दिनांक 04.02.2020 को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट/विपक्षी को नोटिस जारी किये जाने का अंकन आदेशिका में अंकित किया गया लेकिन विचारण न्यायालय की आदेशिका में नोटिस जारी करने का कोई अंकन नहीं है पत्रावली दिनांक 18.03.2020 को अंकित की गई। दिनांक 18.03.2020 को अदालत हाजा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

की आदेशिका मे मोहर अंकित की गई और पत्रावली दिनांक 08.04.2020 को नियत की गई। पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदन पत्र के विपक्षीगण/अपीलान्ट को नोटिस ही जारी नहीं किये गये है। दिनांक 18.03.2020 को झुन्झुनूं जिले में कोविड–19 के रोगी मिलने से झुन्झुनूं में कर्फ्यु लगा दिया गया इसके पश्चात दिनांक 22.03.2020 से सम्पूर्ण भारतवर्ष में कोविड़–19 के चलते लोकडाउन लगा दिया गया। दिनांक 18.03.2020 से दिनांक 01.12.2020 तक न्यायालय की आदेशिका में मोहर अंकित कर तारीख दी गई। न्यायालय की आदेशिका में मोहर जो अंकित की गई है उसमें अंकित है कि पीठासीन अधिकारी राजकार्य, भ्रमण कार्य में व्यस्त है तथा अभिभाषकगण न्यायालय में कार्य नही कर रहे है। इस प्रकार न्यायालय की आदेशिका को देखने मात्र से यह प्रतीत होता है कि न्यायालय में कोई प्रभावी कार्य नहीं हुआ है तथा ना ही विपक्षी की तामील जारी की गई है फिर भी विचारण न्यायालय ने दिनांक 23.02.2021 को अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर दिनांक 05. 03.2021 को एकपक्षीय आदेश पारित किया है जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की तामिल ही जारी नहीं की तथा किस दिनांक को अपीलान्ट की तामिल हुई व किस दिनांक को अपीलान्ट की तामील पर्याप्त मानी ऐसा अंकन विचारण न्यायालय की आदेशिका में अंकित नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है कि जिससे यह जाहिर होता हो कि अपीलान्ट की तामील हो गई है तथा अपीलान्ट/विपक्षी बावजूद तामील विचारण न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुआ है। विचारण न्यायालय ने सिविल प्रकिया संहिता में प्रतिस्थापित तामील के जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये है उनका अनुसरण नही कर सिविल प्रकिया संहिता व सिविल रूल्स, रेवेन्यू कोर्ट मैन्युवल की अवहेलना की है। विचारण न्यायालय ने अपने विचाराधीन निर्णय में अंकित किया है कि अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प)

डी से करवाई गई बाद तामील अपीलान्ट/विपक्षी अनुपस्थित रहे है जिनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विचारण न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से यह कही भी अंकित नहीं किया गया है कि अपीलान्ट की तामील कब से किस दिनांक को जारी की गई है फिर भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट आदेश पारित करने में गलती कानूनी की है। अपील स्वीकार फरमायी जावे व विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर का निर्णय दिनांक 05.03.2021 निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील हुई है। सम्यक तामील के उपरांत अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रकरण में मौके की स्थिति बाबत तहसीलदार मलसीसर से जांच रिपोर्ट ली गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार हरफुल सिंह पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट के नाम खसरा नम्बर 583 रकबा 2.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 886 रकबा 0.06 हैक्टेयर खातेदारी दर्ज है तथा राधाकिशन पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी सोनासर के नाम खसरा नम्बर 581 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 582 रकबा 1.61 हैक्टेयर खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मौके पर खसरा नम्बर 581 व 582 की पश्चिमी सीमा के सहारे झुन्झुनूं–सोनासर सड़क है। आवेदक हरफुल सिंह सड़क से खसरा नम्बर 581 में से अपने खेत तक 12 फुट चौड़ा रास्ता चाहता है। झुन्झुनूं से सोनासर सड़क से आवेदक के खसरा नम्बर 586 तक खसरा नम्बर की लम्बाई 335 फुट है इस प्रकार 335 x 12 वर्ग फुट यानी 4020 वर्ग फुट भूमि रास्ते में आयेगी। इस रास्ते के अलावा खसरा नम्बर 583 में आने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इस मौका रिपोर्ट के आधार पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2009 पेज 607 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

न्यायालय में अपीलांट अप्रार्थी संख्या 1 है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अनुसार अपीलांट के नाम दिनांक 28.02.2020 को दिनांक 18.03.2020 के लिए केवल एक बार नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस की पुश्त पर तामील की कोई रिपोर्ट अंकित नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने अपीलांट की सम्यक तामील होना प्रमाणित नहीं है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय की यह कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब प्राप्त कर उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर